तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ. गिरीश पाराशर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हरदत्त सहारण, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री शांतिप्रकाश ओझा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
श्री गिरीश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 ता 12

–निर्णय–

दिनांकः–16–03–2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा अपील संख्या 26/2017 बउनवानी जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2458/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम पीपलू अप्रार्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–07–2015 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 20–11–2015 को अन्तिम डिक्री जारी की गयी। उक्त आदेशों के विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–11–2015 को पारित अंतिम डिक्री को अपास्त किया गया व प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में जवाबदावा व काउन्टर क्लेम की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम को रिकॉर्ड से हटाकर तकासमा की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए डिक्री जारी करने का कथन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पीपलू के खसरा नं. 2458/1 तादादी 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसके विभाजन का वाद प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15-07-2015 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालांतर में तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 20-11-2015 को विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की गयी। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 28-02-2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-11-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गए। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र अन्तिम डिक्री को अपास्त किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन के प्रस्ताव पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की आपत्ति को प्राप्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी की जानी थी। लिहाजा प्रकरण में जवाबदावा/काउन्टर क्लेम की कतई आवश्यकता नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रकरण के वर्तमान स्तर पर काउन्टर क्लेम व जवाबदावा की आवश्यकता नहीं है। अतः इन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। लिहाजा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम को रिकॉर्ड से हटाकर तकासमा के रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही कि प्रकरण में मात्र अन्तिम डिक्री ही पारित किया जाना ही शेष है। जिसके लिए जवाबदावा व काउन्टर क्लेम की आवश्यकता नहीं होने पर भी अपीलीय न्यायालय के निर्णय का सहारा लेते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12-2017 को विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज किया गया है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 13-12-2017 को खारिज फरमाया जावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा निगरानी पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-11-2015 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 28-02-2017 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 20-11-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे पक्षकारों को विधिवत् रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उभयपक्षों की बहस को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेशों की पालना में प्रकरण को पुनः दिनांक 07-03-2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया व पत्रावली में दिनांक 05-10-2017 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13-12-2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त जवाबदावा मय काउण्टर को रिकॉर्ड से हटाकर तकासमा की रिपोर्ट तलब करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-2-2017 के अनुसरण में न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिये जाने के कथन को स्वीकार करते हुए विधिसम्मत तरीके से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12-2017 को खारित करते हुए पत्रावली को काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु निर्धारित की गयी है। इस प्रकार आदेश जैर निगरानी में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की उपरोक्त निगरानी खारिज फरमाई जावें। हमनें विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन व अवलोकन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पीपलू के खसरा नं. 2458/1 तादादी 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। जिसके विभाजन व चिर निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 15–07–2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व कालान्तर में संबंधित तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 20–11–2015 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 20–11–2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा व काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने पर वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13–12–2017 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व काऊण्टर क्लेम को पत्रावली में से हटाया जाकर तकासमें की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए आदेश प्रसारित किये जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा दिनांक 20–12–2017 खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में हस्तगत् निगरानी के स्तर पर यह निर्धारित किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विभाजन व चिर निषेधाज्ञा के जैरकार वादपत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व काऊण्टर क्लेम की आवश्यकता है अथवा नहीं? व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रक्रिया के अनुसरण में आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के समक्ष वादीगण/निगरानीकर्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 अर्थात विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत होने पर प्राथमिक डिक्री दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15-07-2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 20-11-2015 को पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 20-11-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत् रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण/गैरनिगरानीकर्ता द्वारा वाद प्रक्रिया व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई व सबूत के अवसर प्रदान किये जाने के निर्देशों के अनुसरण में जवाबदावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 05-10-2017 को प्रस्तुत किया गया है। वादीगण/निगरानीकर्ता द्वारा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम को रिकॉर्ड से हटाते हुए अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालय के निर्देशों की पालना में व वाद प्रक्रिया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षणा हेतु जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार विधि द्वारा प्रदत किये गये है, व प्राकृतिक न्याय का भी यह सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, को दृष्टिगत् रखते हुए वादीगण/निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12-2017 विधि सम्मत्/विधिक प्रक्रिया अनुसार खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ गिरीश पाराशर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/541/2018/टोंक जगदीश नारायण बनाम रणधीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए